न्यायालय, सत्र न्यायाधीश,

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1370/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. सुन्दरी देवी उर्फ सुनरी देवी पति जवाहर राम उम्र 51 वर्ष
2. अनीता देवी पति संतु राम उम्र 41 वर्ष
3. प्रमोद राम वल्द चन्द्रदेव राम उम्र 33 वर्ष
4. शिव कुमारी देवी पति रूदल राम उम्र 50 वर्ष
5. मन्तोष कुमार उर्फ मन्तोष राम वल्द जवाहर राम उम्र 24 वर्ष
6. कौशल्या देवी पति अकलू राम उम्र 76 वर्ष
7. जवाहर राम वल्द इन्द्रदेव राम उम्र 56 वर्ष

ग्राम– झिठकहिया, थाना– लखौरा, जिला– पूर्वी चम्पारण..................................आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार.. विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से :– श्री तरूण कुमार राय , विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से :–श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

16.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्तगण सुन्दरी देवी उर्फ सुनरी देवी, अनीता देवी, प्रमोद राम, शिव कुमारी देवी, मन्तोष कुमार उर्फ मन्तोष राम, कौशल्या देवी एवं जवाहर राम की ओर से लखौरा थाना कांड संख्या–313/2025, धारा–126(2), 115(2), 303(2), 117(2), 118(2), 352, 351(2)/3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफतारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक टुन्नी सहनी का दो लाख रूपया कबाड़ का दाम संतु राम के यहॉ बाकी था। दिनांक 29.10.2025 को वह अपने भाई द्व ारपालिक सहनी , भिखारी सहनी एवं भूषण सहनी के लड़का कुंदन कुमार के साथ संतु राम के दरवाजा पर अपना कबाड़ के दाम का रूपया दो लाख रूपया मांगने गया तो उसे देखते ही संतु राम, कमलेश राम, संतु राम का भाई नंदू राम आ गए तथा उसे दरवाजा से चले जाने को कहा तथा उसका दो लाख रूपया देने से इंकार कर दिया। वह थाना जाने की धमकी दिया तो संतु राम के बुलावे पर करीमन राम, चनदेव राम, शकलदेव राम,

अकलदेव राम कुल सातो व्यक्ति अपने घर से लाठी–फट्ठा लोहे का रड लेकर संतु राम के दरवाजा पर आए। करीमन राम संतु राम के हाथ में फरसा तथा अन्य के हाथ में लाठी लोहे का रड से उसे तथा उसके भाई द्वारपालिक सहनी, ग्रामीण निखारी सहनी वगैरहः घेर लिए । संतु राम के आदेश पर उसे करीमन राम ने जान मारने की नियत से सर पर फरसा से मारा जिससे उसका सर कट गया। कमलेश राम उसके गर्दन पर जान मारने की नियत से लाठी से मारा, उसे बचाने उसका भाई द्वारपालिक सहनी आया तो उसे कमलेश राम ने पांजा में पकड़ लिया तथा संतु राम ने फरसा के पास से द्वारपालिक सहनी के सर पर मारा जिससे उसका सर फट गया। बचाने आए भिखारी सहनी एवं भूशण सहनी के पुत्र कुंदन कुमार को भी लाठी से अन्य अभियुक्तो ने भी मारपीट किया । मारपीट के क्रम में उसके पॉकेट से चार हजार रूपया संतु राम छीन लिया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे पूर्व दुश्मनी एवं पलटा मुकदमा मुफ्फसिल लखौरा थाना कांड संख्या– 486/2023 के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है । संतु राम की ओर से सूचक के विरूद्ध लाखौरा थाना कांड संख्या– 312/2025 दाखिल किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। आवेदकगण के विरूद्ध सूचक उसके भाई एवं ग्रामीणों को लाठी, फट्टा, लोहा के रड,फरसा से मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। केस डायरी की कंडिका– 21 में जख्मी सुगंधी देवी, झोझही देवी, टुन्नी सहनी, द्वारपाली सहनी का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–3 एवं 38 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्षों के बीच एक ही दिन की घटना को लेकर पलटा मुकदमा चल रहा है।

उपरोक्त तथ्यों, को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण सुन्दरी देवी उर्फ सुनरी देवी, अनीता देवी, प्रमोद राम, शिव कुमारी देवी, मन्तोष कुमार उर्फ

मन्तोष राम, कौशल्या देवी एवं जवाहर राम को आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसर्मपण/गिरफ्तारी की दशा में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोशप्रद समाधान पर धारा– 482 (2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–

सत्र न्यायाधीश
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी,
दिनांक –16.04.2026